न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—200/2015 (2015/000556)223/ब्यावर

1. अमीर खॉ पुत्र मुनीरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी छीपा मौहल्ला, सरावगी गली, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. कालू पुत्र लालू जाति माली निवासी ग्राम पुरानी चुंगी नाका, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैंड़ होल्डर, तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।
3. उप—पंजीयक अधिकारी, ब्यावर जिला अजमेर।
4. जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर।
5. लक्ष्मीचन्द बंसाली, ए.यू.एफ.,ब्यावर जरिये कर्ता लक्ष्मीचन्द बंसाली पुत्र नौरतमल जैन निवासी रीको हाऊसिंग कॉलोनी, अजमेर रोड़, ब्यावर।
6. कैलाश चन्द चौहान पुत्र छोगा लाल चौहान जाति माली निवासी बिचडली मौहल्ला, कोट गली, ब्यावर जिला अजमेर ।
7. दिनेश कटारिया पुत्र श्री माणकचन्द कटारिया जाति जैन, निवासी पीपलिया बाजार, ब्यावर जिला अजमेर ।
8. श्रीमति बीना कटारिया धर्मपत्नी दिनेश कटारिया जाति जैन, निवासी पीपलिया बाजार, ब्यावर जिला अजमेर ।
9. श्रीमति गोदावरी चौहान पत्नी श्री कैलाशचन्द चौहान, जाति माली निवासी बिचड़ली मौहल्ला, कोट गली, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2015, वाद संख्या 25/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री विभौर गौड़ एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री रामपाल कुमावत एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 की ओर से।
4. श्री हेमराज गुप्ता एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 05 से 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 21.12.2018

01. अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के द्वारा वाद संख्या 25/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वाद विषयक आराजी जो मौजा ग्राम छावनी प्रेड तहसील ब्यावर अवस्थित खसरा नम्बर 720 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 729 रकबा 04 बीघा के खातेदार काश्तकार पूर्व में वादी के दादा स्वर्गीय अल्लाबक्श पुत्र अली थे जिनके देहान्त के पश्चात उनका पुत्र मनीरूद्दीन एवं उनके देहान्त के पश्चात वादी उनके जीवन काल से ही भूमि काबिज काश्त चला आ रहा हैं। जमाबंदी सम्वत 1350, 1360, 2014 से 2017 में बतौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खातेदार काश्तकार अंकित चली आ रहा थी। राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लापरवाही एवं गलती से सहवन से उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 में कस्टोडियन के अधीन अंकित करते हुए लालू पुत्र मूला जाति माली के नाम अंकित कर दी गई जबकि कस्टोडियन विभाग अथवा लालू पुत्र मूला का भी उक्त भूमियो से कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने गलत एवं गैरकानूनी रूप से मूला का विरासती नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया, ऐसी स्थिति में वादी अब अपने आपको उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एवं लालू पुत्र मालू एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में किए गये नामान्तकरण को रद्द घोषित करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए विवादित भूमि बाबत् वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, प्रतिवादी संख्या 01 व उसके पिता मूला के नाम किये गये अंकन को रद्द एवं निरस्त तथा शून्य घोषित किये जाने की प्रार्थना की। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रावधित वाद विचारण नियमित प्रकार से चल रहा था उपरोक्त पेशी तारीख दिनांक 12.01.2015 को अविधिक रूप से बिना आधार के प्रतिवादी संख्या 01 तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 09 ने पृथक–पृथक दो पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्य.प्र.सं. प्रस्तुत किये, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिए वादी ने समय चाहा व दिनांक 04.02.2015 को इस हेतु दस्तावेज एकत्रित करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.02.2015 को ही खारिज कर दिया व बिना सुनवाई का अवसर दिये, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्रों को दिनांक 04.02.2015 को सुनकर दिनांक 16.02.2015 को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2015 पारित किये जाने समय आदेश 07 नियम 11 जा.दी. की परिधि से परे जाकर वाद विचारण के गुणावगुण को इस प्रार्थना पत्र के स्तर पर ही विवेचित कर वाद इस प्रकार से खारिज कर दिया जैसे कि वाद विचारण अंतिम निर्णय किया जा रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में दिनांक 29.03.2012 को प्रतिवादी संख्या 02 राजस्थान सरकार द्वारा व दिनांक 19.04.2012 को प्रतिवादी संख्या 01 कालू द्वारा मूला जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था। दिनांक 29.05.2012 को वाद में तनकियात कायम की गई व वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 11.06.2012 को वाद नियत था। दिनांक 29.09.2014 को वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 08.10.2014 को स्वीकार किया गया व वादग्रस्त भूमियों के दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये अविधिक बेचान के क्रेतागत प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को बतौर क्रेता प्रतिवादीगण सम्मिलित किया गया व दिनांक 27.10.2014 को संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने पर वाद तामिली दिनांक 11.11.2014 की पेशी को प्रतिवादी संख्या 5 से 9 की ओर से अधिवक्त ने उपस्थिति दी एवं दिनांक 23.12.2014 को संशोधित जवाब दावा आवश्यक रूप से पेश करने के आदेश पारित किये । प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं निांक 12.1.2015 को दो प्रार्थना पत्र पृथक–पृथक अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत कर दिये, जिसे स्वीकार कर आक्षेपित आदेश से वादी का वाद खारित कर दिया जब दिनांक 07.02.2012 को स्वंय अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को वाद चलाने की अनुमति प्रदान कर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण एवं सम्मन जारी किये थे ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 से 09 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत करने का कोई लोकस नहीं थी जबकि वाद विचारण साक्ष्य स्तर पर पहुँच चुका था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत कर दिये व प्रथम दृष्टया ही पोषणीय व संधारणीय नही होने के कारण रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नही थें, पश्चात भी ना केवल इन दोनो प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया गया बल्कि उनको स्वीकार कर वादी का वाद खारिज भी कर दिया गया जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद सुनवाई व विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात अन्तर्गत आदेश 07नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र विधितः प्रस्तुत करना न्यायोचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नही था ना ही पोषणीय था । वाद विचारण के पश्चात दोनो पक्षों की साक्ष्य एवं दस्तावेजात प्रदर्शित किये जाने के पश्चात ही निर्णय व डिक्री पारित किये जाने समय तनकियात निस्तारित कर निर्णित किये जाने थे जो ही समुचित व वास्तविक विधिक विचारण था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वाद विचारण सम्पूर्ण किये जाने प्रारम्भ हो चुका था आदेश 07नियम 11 जा.दी. के स्तर पर बिना विचारण के गुणावगुण पर निर्णय कर दिया जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 07नियम 11 जा.दी. के स्तर पर केवल मात्र वाद पत्र के प्राकथनों को ही देखा जाना आवश्यक हैं प्रतिवादी के जवाब के प्रस्तुत दस्तावेजात को इस स्तर पर नहीं देखा जा सकता जिस महत्वपूर्ण विधिक सिद्धान्त को अनदेखा कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जो विधि सम्मत नही हैं। वाद के साथ प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात में वादीगण के पूर्वज उसके दादा अल्लाबक्श के नाम वादग्रस्त आराजी सम्वत 1350, 1360, 2014 से 2017 में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित थी एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 कस्टोडियन के अधीन गलत अंकित करते हुए लालू पुत्र मूला के नाम अंकन कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड के अविधिक अंकन को डिलीट करने व वादीगण को खातेदार घोषित करने हेतु वाद अनुतोष मांगा गया था, जो सभी वादी पक्ष के दस्तावेजात व प्रतिवादी पक्ष के दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में दोनो पक्षों की मौखिाक साक्ष्य, जिरह व दस्तावेजात प्रर्दशिकरण किया जाना आवश्यक था, जिसके अभाव में वस्तुस्थिति सिद्ध नही हो सकती थी, जिन सभी न्यायिक प्रक्रिया व अपेक्षाओं को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोघ है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2015 को निरस्त कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 25/2012 का अनुतोष विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित कर वादीगण को वाद विषयक भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 01 व उसके पिता मूला के नाम किये गये अंकन को रद्द एवं निरस्त तथा शून्य घोषित किये जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.डी. –14.1.2013 पेज 01 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब बहस अपील में बताया कि अपीलांट का विवादित भूमि पर उसके पूर्वजों के समय से कोई कब्जा काश्त, मालिकाना, खातेदारी आधिपत्य किसी भी प्रकार से नही हैं। अपीलांट आऊट ऑफ पजेशन हैं और स्वर्गीय अल्लाबक्ष के वारिसान भी नही हैं तथा अल्लाबक्श बिश्वेदारी का अधिकर राजस्थान जमींदारी बिश्वेदारी अबोलेशन एक्त के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार में निहित होकर समाप्त हो गये एवं काबिज काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कालू के पूर्वज लालू पुत्र मूला को बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार हासिल हो गये और उसका भलीभांति कब्जा काश्त चला आता रहा हैं और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 9 को विधिवत रूप से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामें दिनांक 23.07.2012 के द्वारा बेचान कर विवादित भूमियों का भौतिक कब्जा संभला दिया हैं अब रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 09 खातेदार होकर काबिज चले आ रहे है। तत्समय तक राजस्थान रेवेन्यू लॉ एक्शटेंशन अधिनियम दिनांक 15.06.1957 अजमेर जिले में प्रभावशी हुआ और उसका पब्जिकेशन दिनांक 13.01.1958को हो चुका था इसलिए धारा 15 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो आबू, अजमेर व सुनैल क्षेत्र के लिए लागू था उसके तहत् खातेदार अधिकार तत्सयम लालू पुत्र मूला को हासिल हो चुके थे इसिलए अल्लाबक्श का कोई अधिकार नही रहा। खसरा गिरदावरी सम्वत 2017से 2020 में लालू पुत्र मूला सा.देह का0गैर खातेदार मु. 9 साल तथा शिकमी काश्तकार दर्ज हैं तथा इसके पश्चात की खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 से 2028 में कस्टोडियन अंकित करते हुए लालू पुत्र मूला जाति माली अंकित किया गया हैं। ग्राम नया नगर की रोटेशन जमाबंदी सम्वत 2020–2023 के खाता संख्या 449, सम्वत 2024 से 2027 के खाता संख्या 424 में श्री लालू पुत्र मूला कौम माली सा.देह के रूप में दर्ज चजे आ रहे हैं। लालू की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र कालू पुत्र लालू वादग्रस्त भूमियों पर काबिज काश्त रहे है जो आगामी रोटेशन खसरा गिरदावरियों से साबित हैं तथा आगामी जमाबंदियों में कालू पुत्र लालू माली अंकित है। इस प्रकार स्वर्गीय लालू पुत्र मूला का कब्जा काश्त सन् 1945 से लगातार चला आ रहा हैं और उसके खातेदारी अधिकारी सन् 1958–59 मे मिल चुके हैं तथा इस दौरान अल्लाबक्श व उसके पश्चात उनके वारिसान का कब्जा काश्त नही रहा हैं इसलिए कब्जे के अभाव में डिक्लेरेकशन का दावा कानूनन नही किया जा सकता हैं और पजेशन लेने का दावा करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की मियाद भी निकल चुकी है इसलिए वादी का वाद बॉर्ड बाई लॉ हैं जैसा कि आर.आर.डी. 1989 पेज 774 में प्रतिपादित किया गया हैं। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बहस में आगे कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमियों के राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश कस्टोडियन भूमि का इन्द्राज हो गया, जिसे विलोपित किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 24/2012 बउनवान कालू बनाम राज.सरकार प्रस्तुत किया गया था तथा जिसे स्वीकार किया जाकर उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार मानते हुए मौके पर उसी का कब्जा होना मानते हुए दिनांक 19.04.2012 को डिक्री किया जा चुका हैं उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.2004 में यह अंकित किया कि **"राजस्थान काश्तकार अधिनियम अजमेर जिले में दिनांक 15.06.1958 को लागू हुआ था तथा इस तिथि को अल्लाबख्श की खेवटदारी समाप्त होकर राजस्थान सरकार में निहित हो गई और काबिज काश्तकार लालू पुत्र मूला को बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार अधिकार हासिल हो गये थे इसलिए वादग्रस्त भूमियों में अपीलांट के पूर्वज अल्लाबख्श के कोई हक व स्वत्व शेष नही रहे थे किन्तु कस्टोडियन का गलत इन्द्राज जमाबंदियों में हो गया था जिसे वादी/रेस्पोडेन्ट ने वाद प्रस्तुत कर हटवा लिया है तथा यह भी स्पष्ट किया कि अजमेर टिनेन्सी एक्ट व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आगमन अजमेर मध्यस्था उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के तहत् एवं राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के वक्त भी और उसके बाद भी लालू पुत्र मूला का विवादित आराजी पर बतौर काश्तकार कब्जा चला आ रहा हैं। विवादित आराजी में अपीलांट एवं उसके पूर्वज अल्लाबख्श का कोई हक व अधिकार किसी प्रकार से निहित नही है।"** तथा अपीलांट की अपील को खारिज की गई। वादी ने जो वाद पत्र प्रस्तुत किया है उसमें वाद कारण ही उत्पन्न नही हुआ हैं। वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में वादी के कोई हक अधिकार ही न तो कभी थे व न ही हैं। चूँकि वादी/के पक्ष में किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता हैं अत एवं वादी/प्रार्थी का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत खारिज किया हैं। अपीलांट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये है वे गलत है व असत्य है और प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषप्रद नही हैं और संतोषप्रद कारण नही होने के कारण अपील खारिज योग्य हैं जैसा कि आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 850 के न्यायिक दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 –धारा 5 – विलम्ब का शमन–अपील पेश करने में 30 दिन का विलम्ब –संतोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया– अपील में अन्तर्गत प्रश्न तथ्यों के प्रश्न है–समवर्ती निष्कर्ष –निर्णित, परिसीमा के आधार पर और मेरिटस पर भी अपील खारिज की। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट परिसीमा के आधार पर एवं मेरिटस के आधार पर खारिज योग्य है इसलिए खारिज की जावें।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 09 ने दौराने जवाब बहस अपील में बताया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा की गई बहस को हमारी बहस समझी जावें।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का एवं प्रस्तुत नजीरो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया।

8. सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय करना उचित समझते है चुकि निर्णय गुवावगुण पर श्रेयस्कर होने से एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए हस्तगत अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत् रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 का वाद संख्या 24/2012 उनवानी कालू बनाम् सरकार समान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के पक्ष में विवादित आराजीयात के मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त मानते हुए उसे खातेदार घोषित कर निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2012 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पारित की जा चुकी है जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 09.12.2004 से करते हुए वर्तमान अपीलांट/वादी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

तथाकथित पूर्वज अल्लाबक्श के स्वत्व व हको की विवेचना कर विवादित आराजी पर अल्लाबक्श का कोई हक और अधिकार कानूनन नही माने है तथा अपीलांट/वादी के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद पत्र संख्या 25/2012 के प्रकथनो से स्पष्ट है कि यह वाद पत्र भी विवादित आराजीयात के बाबत् अल्लाबक्श के अधिकार बताते हुए उसके वारिस के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि अल्लाबक्श के हक व अधिकार पूर्ववर्ती प्रकरणो में विवादित आराजीयात के बाबत् माने नही गये है इसलिए वर्तमान वाद में अपीलांट/वादी को कोई वाद कारण हांसिल नही होता है तथा अपीलांट वादी को एक नया प्रकरण अल्लाबक्श के हक व अधिकारो की विवेचना करवाये जाने हेतु प्रस्तुत करने की ईजाजत कानूनन प्रदान नही की जा सकती है।

10. उपरोक्त विवेचन से साबित है कि अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एक तुच्छ व निरर्थक वाद पत्र है जिसकी सफलता की कतई गुंजाईस नही है और ऐसा वादपत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के साथ धारा 151 जाप्ता दिवानी के तहत् न्यायालय को प्राप्त अर्न्तनिहित शक्तियो के तहत् भी खारिज किया जा सकता है। चुकि अपीलांट/वादी विवादित आराजीयात के कब्जे से बाहर है और कब्जे से बाहर व्यक्ति घोषणा का वाद पत्र न्यायिक दृष्टान्त 2011(2) आर.आर.टी. पेज 1170 के अनुसार वाद पेश करने हेतु सक्षम नही है। जाप्ता दिवानी के आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र वाद के किसी भी स्तर पर पेश किया जा सकता है इसके लिए कोई समयावधि जाप्ता दिवानी मे निर्धारित नही है तथा ऐसा प्रार्थना पत्र जवाब दावा आने व तनकीयात कायम हो जाने के उपरान्त अंतिम बहस के स्तर तक पेश किया जा सकता है जहा वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत् खारिज होने योग्य हो वहा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना कतई न्यायसंगत नही है।

11. चुकि अपीलांट/वादी द्वारा पेश वादपत्र के प्रकथनो के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (अजमेर क्षेत्र मे दिनांक 15.06.1958को लागू) की धारा 15बी एवं राजस्थान जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के कारण अल्लाबक्श के खेवटदारी अधिकार खातेदारी अधिकारो में परिवर्तित नही हो सकते है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के रोज रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के अधिकारो को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। इसलिए अपीलांट/वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने एवं वाद कारण हासिल न होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने विधि सम्मत तरिके से अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2015 से निरस्त किया है, जिसमे कोई तात्विक अनियमितता एवं विधिक त्रुटि नही है।

12. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन से हस्तगत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2015 का यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

21/12/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय व डिक्री आज दिनाक 21.12.2018. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुर इजलास सुनाया गया।

21/12/18

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर